# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

**पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 6/2020** **दायर दिनांकः 20/07/2020**

उनवान

1. लालाराम आयु 85 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा पोस्ट सहरोद तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

**आदेश** **दिनाकः 05/08/2021**

**पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल उम्मेदगंज पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 31 का ख0नं0 72 का रकबा 0.41 है0, ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 49 का ख0 नं0 139 का रकबा 1.16 है0, ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 112 का कुल किता 7 का रकबा 3.59 है0, ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 113 का कुल किता 6 का कुल रकबा 3.12 है0 तथा ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी की खाता संख्या 506 का कुल किता 2 का रकबा 1.36 है0 आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नवीन नकल जमाबन्दियां साथ में संलग्न है। ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 31 में प्रार्थी का नाम लाला एवं पिता का नाम भौरीलाल, ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 49 में प्रार्थी का नाम लाला एवं ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 112 में प्रार्थी का नाम लाला तथा ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 113 में प्रार्थी का नाम लाला तथा प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल तथा ग्राम ढोटी की खाता संख्या 506 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र भंवरलाल दर्ज खाता है। प्रार्थी को घर पर लाला कहने के कारण आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने लाला दर्ज कर दिया तथा ग्राम उम्मेदगंज की खाता 31 एवं ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 113 में प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का सही**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:54:57 IST
Reason: SelfAttested

नाम लालाराम एवं उसके पिता का नाम भंवरलाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक पास बुक तथा ग्राम पंचायत सहरोद द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है।

बिना सहायता माननीय न्यायालय के प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम लाला के स्थान पर लालाराम एवं प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर भंवरलाल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों एवं दस्तावेज में प्रार्थी एंव उसके पिता का नाम भिन्न–भिन्न होने से प्रार्थी को अपने स्वामित्व की आराजी पर के.सी.सी. ऋण व सरकारी सहायता आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम लालाराम एवं उसके पिता का नाम भंवरलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 31 में प्रार्थी का नाम लाला एवं पिता का नाम भौरीलाल, ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 49 में प्रार्थी का नाम लाला एवं ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 112 में प्रार्थी का नाम लाला तथा ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 113 में प्रार्थी का नाम लाला तथा प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल तथा ग्राम ढोटी की खाता संख्या 506 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र भंवरलाल दर्ज है। में प्रार्थी का नाम लाला के स्थान पर लालाराम एवं प्रार्थी के पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर भंवरलाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार महोदय अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 3** के शपथ पत्र पेश किये ग[illegible]

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस [illegible], अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया [illegible] कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल उम्मेदगंज के खाता संख्या 31 का ख0नं0 72 का रकबा 0.41 है0 तथा ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 113 का कुल किता 6 का कुल रकबा 3.12 है0 में प्रार्थी का नाम लाला तथा उसके पिता का नाम भौरीलाल दर्ज है। ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 49 का ख0नं0 139 का रकबा 1.16 है0, ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:54:57 IST
Reason: SelfAttested

नृसिंहपुरा की खाता संख्या 112 का कुल किता 7 का रकबा 3.59 है0, ग्राम ढोटी पटवार हल्का ढोटी की खाता संख्या 506 का कुल किता 2 का रकबा 1.36 है0 में प्रार्थी का नाम लाला व उसके पिता का नाम भंवरलाल दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक कुन्जेड की पास बुक में प्रार्थी का नाम लालाराम तथा उसके पिता का नाम भंवरलाल दर्ज है तथा ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र दिनांक 08.07.2020 अनुसार भी प्रार्थी का नाम लालाराम तथा उसके पिता का नाम भंवरलाल है, जो सही नाम है। उक्त उनवान को दोनो नामों से जाना जाता है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया, उक्त प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का सही नाम लालाराम तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम भंवरलाल है, सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल उम्मेदगंज की खाता संख्या 31 का ख0नं0 72 का रकबा 0.41 है0, ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 49 का ख0नं0 139 का रकबा 1.16 है0, ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 112 का कुल किता 7 का रकबा 3.59 है0, ग्राम नृसिंहपुरा की खाता संख्या 113 का कुल किता 6 का कुल रकबा 3.12 है0 तथा ग्राम ढोटी की खाता संख्या 506 का कुल किता 2 का रकबा 1.36 है0 में सहखातेदार लाला पुत्र भौरीलाल के स्थान पर लालाराम पुत्र भंवरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:54:57 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां